

6. संचालन और संचार

6.1. प्रस्तावना

दिल्ली पुलिस का संचालन और संचार (सं. एवं सं.) यूनिट सभी पुलिस स्टेशनों, पिकेट, चेक पोस्ट, यातायात, पीसीआर वैन, सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को संचार सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह दिल्ली पुलिस द्वारा स्थापित सीसीटीवी कैमरों के समग्र रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है।

6.2. संचार प्रणाली

मई 2019 तक, दिल्ली पुलिस की संचार प्रणाली पारंपरिक और ट्रकिंग⁴³ (एपीसीओ पी25 चरण-I और टेट्रा) संचार प्रणालियों के मिश्रण पर काम कर रही थी।

ट्रकिंग	एपीसीओ पी25 चरण-I	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 1999 में दिल्ली पुलिस ने मैसर्स मोटोरोला से प्राप्त किया, 2009 में अपना सामान्य जीवनकाल को पूरा किया लेकिन अभी तक इसका उन्नयन नहीं किया गया। पांच पुनरावर्तक ठिकानों के साथ पूरी दिल्ली को कवर किया गया। अगस्त 2011 में उन्नयन का प्रस्ताव शुरू किया गया था लेकिन जुलाई 2019 तक निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था
	टेट्रा	<ul style="list-style-type: none"> रा.रा.क्षे.दि. के माध्यम से मेसर्स एचसीएल से किराये के आधार पर टेट्रा प्रणाली को लागू किया गया (वर्ष 2009 में स्थापित और मार्च 2012 में 87 महीने की अनुबंध अवधि के साथ स्वीकार किया गया)। 56 पुनरावर्तक ठिकानों के साथ पूरी दिल्ली को कवर किया गया। 87 महीनों की अनुबंध अवधि मई 2019 में पूरी हो गई और जून 2019 से इसे बंद कर दिया गया।
परम्परागत	यूएचएफ/वीएचएफ	<ul style="list-style-type: none"> छोटी दूरी (1-2 कि.मी.), छत की ऊपरी भाग में व्यवस्था, पिकेट चेकिंग, स्टेडियमों में होने वाले कार्यक्रमों आदि के लिए उपयोग किया जाता है। आपदाओं के मामले में उपयोगी, पुनरावर्तक ठिकानों की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पुरानी प्रणाली, प्रौद्योगिकी में विविधता और संचार की अतिरिक्तता को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ बनाए रखा गया है।

⁴³ ट्रकिंग सिस्टम पारंपरिक सिस्टम से भिन्न होते हैं, जिसमें एक पारंपरिक सिस्टम उपयोगकर्ताओं के प्रत्येक व्यक्तिगत समूह के लिए एक समर्पित चैनल (आवृत्ति) का उपयोग करता है, जबकि" ट्रकिंग सिस्टम चैनलों के एक समूह का उपयोग करता है जो कि बहुत सारे उपयोगकर्ताओं के समूह के लिए उपलब्ध होता है।

पारंपरिक वायरलेस सेट्स की संख्या जून 2009 में 9638 से घटकर जून 2019 में 6172 हो गई क्योंकि इस अवधि के दौरान बेकार हुए सेट्स को नियमित रूप से बदला नहीं गया था और इस अवधि के दौरान बेकार हुए सेट्स की संख्या के बदले सेट्स की खरीद असमानुपातिक थी।


लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई-अक्टूबर 2013 के दौरान 406 पारंपरिक वायरलेस सेट्स के बेकार होने के एक साल से अधिक समय के बाद, दिल्ली पुलिस ने 880 सेट खरीदने का प्रस्ताव (जनवरी 2015) शुरू⁴⁴ किया। इसके अलावा, सेट्स के बदलने के लिए खरीद प्रक्रियाओं को देरी से भरा गया था, क्योंकि वायरलेस सेट्स को मार्च 2019 में चार साल से अधिक समय के बाद ही खरीदा और स्टॉक में लिया गया था।

इस बीच, जब एपीसीओ पी25 चरण-1 ने 2009 में अपनी 10 साल की सामान्य अवधि पूरी कर ली, तो दिल्ली पुलिस ने साथ ही किराये के आधार पर उपयोग करने के लिए टेट्रा ट्रंकिंग संचार प्रणाली को अधिग्रहित कर लिया। हालांकि, मई 2019 में टेट्रा की अनुबंध अवधि समाप्त होने और अपनी सामान्य अवधि के 10 साल बाद भी एपीसीओ पी25 का उन्नयन करने में विफलता के कारण, दिल्ली पुलिस अखिल-दिल्ली कवरेज के लिए अब केवल 20 साल पुराने एपीसीओ पी25 चरण-1 संचार प्रणाली पर निर्भर है (जून 2019 के बाद) इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने लगातार (2011 से) दर्ज किया है कि एपीसीओ पी25 पुराने होने के कारण बिगड़ी हुई थी। इसके अलावा, एपीसीओ प्रणाली के ट्रंकिंग वायरलेस सेट्स की संख्या में भी पिछले 10 वर्षों के दौरान लगातार गिरावट आई है। अंततः टेट्रा प्रणाली और इसके 3657 सेट्स को बंद करने के कारण जून 2019 में ट्रंकिंग वायरलेस सेट्स⁴⁵ की कुल संख्या में तेजी से गिरावट⁴⁶ आई है।

⁴⁴ दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, इस प्रस्ताव को शुरू करने से पहले 6-7 वर्षों में कोई भी पारंपरिक वायरलेस सेट नहीं खरीदे गये थे।

⁴⁵ हैंडहेल्ड सेट्स का उपयोग फील्ड कर्मियों द्वारा उपयोग किया जाता है, मोबाइल सेट्स का उपयोग वाहनों में किया जाता है और स्टैटिक सेट्स का उपयोग पुलिस स्टेशनों, नियंत्रण कक्षों आदि में किया जाता है।

⁴⁶ दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध वायरलेस सेट्स की संख्या जून 2009 में 10,591 (6934 एपीसीओ सेट और 3657 टेट्रा सेट) ट्रंकिंग वायरलेस सेट्स 10 वर्षों के बाद जून 2019 में जबरदस्त रूप से घटकर 5592 रह गए।



स्रोत: ऑप्स एंड कॉम यूनिट, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड से संकलित

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली पुलिस ने मोटोरोला के "स्मार्ट ज़ोन" एपीसीओ पी25 चरण-I प्रणाली को मोटोरोला के "स्मार्टएक्स" एपीसीओ पी25 चरण-II प्रणाली⁴⁷ में उन्नयित किये जाने का प्रस्ताव (अगस्त 2011) लाया था। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्नयन परियोजना टेट्रा प्रणाली के बदले में नहीं है और तकनीकी, आवृत्ति बैंड, पुनरावर्तक साइटों और परिचालन कार्यप्रणाली में विविधता के लिए टेट्रा और एपीसीओ पी25 चरण-II प्रणाली के एक साथ उपयोग की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, प्रस्ताव में एपीसीओ पी25 चरण-II के साथ 6000-7000 वायरलेस सेट्स की एक अस्थायी आवश्यकता का आकलन किया था, जो कि तब (2011 में) इस्तेमाल किए जा रहे लगभग 6800 एपीसीओ पी25 चरण-I सेट्स की जगह लेता और 3657 टेट्रा सेट्स का पूरक होता।

हालांकि, प्रस्ताव के अति महत्वपूर्ण होने के बावजूद, सितंबर 2018 में पहली बार निविदाएं आमंत्रित करने से पहले यह दिल्ली पुलिस और गृ.मं. के बीच लगभग सात साल तक घूमता रहा।

इस अवधि के दौरान, दिसंबर 2013 तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रगति नहीं हुई, तब गृ.मं. ने दिल्ली पुलिस को डीसीपीडब्ल्यू (पुलिस वायरलेस समन्वयन निदेशालय) द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्ताव की जांच करने और डीसीपीडब्ल्यू की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी। डीसीपीडब्लू ने दिल्ली पुलिस को प्रस्ताव जो एकल बोलीदाता समाधान का नेतृत्व की जाने वाली है, के विषय में अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए प्रतिक्रिया दी तथा व्यक्त किया

⁴⁷ एपीसीओ पी25 संचार प्रणाली के लिए एक खुला मानक है, जिसमें कई निर्माता हैं। मोटोरोला, हैरिस, टैट आदि

कि प्रस्तावित प्रणाली की सिफारिश नहीं की जा सकती क्योंकि सांइटिफिक एनालेसिस ग्रुप (एसएजी)⁴⁸ की स्वीकृति उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद, गृ.मं. ने (सितंबर 2016) सैद्धान्तिक रूप से दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की कि फर्मों के चयन के बाद एसएजी हेतु अनुमोदन लिया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने तब गृ.मं. को तकनीकी विनिर्देश और प्रारूप निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत किया (जून 2017) जिस पर गृ.मं. ने फिर से (अगस्त 2017) देखा कि प्रस्तावित प्रणाली पेटेंट और मालिकाना तकनीक लगती है और दिल्ली पुलिस को कम से कम तीन विक्रेताओं के उद्धरण प्राप्त करने के लिए कहा (अप्रैल 2018)। दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित किया गया (मई 2018) कि दो फर्मों से प्राप्त उद्धरण/ अनुमान मैसर्स मोटोरोला द्वारा दिए गए अनुमानों से अधिक थे, गृ.मं ने निविदा दस्तावेजों और वैश्विक निविदा के लिए अनुमोदन (जुलाई 2018) को स्वीकृति दी। बोलियों को आमंत्रित करने पर (अगस्त 2018), यद्यपि पाँच कंपनियों ने प्री-बिड मीटिंग में भाग लिया था (अक्टूबर 2018), बोली खोलने पर मैसर्स मोटोरोला की एकल बोली प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात निविदा को निरस्त कर दिया गया एवं जून 2019 में फिर से आमंत्रित किया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि प्री-बिड मीटिंग (अक्टूबर 2018) के दौरान प्राप्त 70 प्रश्नों में से 43 प्रश्नों के संशोधनों को लागू किया गया था। हालांकि इनमें से 19 संशोधनों को जून 2019 में जारी निविदा दस्तावेज में वापस हटा दिया गया/ शामिल नहीं किया गया। इनमें से दूसरी निविदा के लिए पूर्व-बोली बैठक के दौरान 14 मामलों में संशोधनों को फिर से लागू किया गया, जो इंगित करता है कि दूसरी निविदा के लिए यथोचित तैयारी नहीं की गयी थी। इसके अलावा, शेष पाँच मामलों में, संशोधन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और इन निर्णयों के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, एपीसीओ पी25 तकनीकी हित समूह ने एपीसीओ पी25 के लाभों में 'मल्टीवेंडर सोर्सिंग' और 'इंटरऑपरेबिलिटी' को सूचीबद्ध किया है। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मार्गदर्शन के रूप में गृ.मं. द्वारा जारी किए गए तकनीकी विनिर्देश, के लिए न्यूनतम दो विक्रेताओं के साथ इंटरऑपरेबिलिटी (आईओपी) सुनिश्चित करने के लिए एपीसीओ एसोसिएशन के तकनीकी कार्य समूह से 'आईओपी प्रमाणन' भी चाहते हैं। इसी प्रकार, दिल्ली पुलिस ने अन्य विक्रेताओं के नमूने सेट के साथ प्रणाली की अंतर-क्षमता का प्रदर्शन और इंटरऑपरेबिलिटी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया था।

⁴⁸ एसएजी एन्क्रिप्शन का यह मुद्दा हल किया गया था (दिसंबर 2015) जब यह निर्णय लिया गया था कि जब सुरक्षित चैनलों की आवश्यकता होगी, तो एसएजी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने एक और खंड "रेडियो सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चर (बेस स्टेशन और स्विच) और रेडियो (पोर्टेबल, मोबाइल और स्थैतिक) एक ही ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) से एक ही मेक होगा शामिल किया, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी की प्रतिपादन आवश्यकता महत्वहीन हो गयी थी और इस प्रकार दिल्ली पुलिस को एपीसीओ पी25 के मानकों के मुख्य लाभों से वंचित किया गया। इस मुद्दे को पूर्व-बोली बैठकों के दौरान उठाया गया था, लेकिन इस संबंध में कोई विचार-विमर्श अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं था।

इंटरऑपरेबिलिटी के संबंध में, दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया (जून 2020) कि यदि अलग-अलग ओईएम के अलग-अलग उत्पाद को उद्धृत किया जाता है तो ओईएम स्थानों पर फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट (एफएटी) करना संभव नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि बोलीदाता विभिन्न ओईएम के उत्पादों के लिए उद्धृत कर रहा है, तो यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह अलग-अलग ओईएम के उत्पादों को एक स्थान पर एफएटी (फैक्टरी स्वीकृति टेस्ट) के लिए व्यवस्थित करे।

दिल्ली पुलिस ने लगातार इस तथ्य पर प्रकाश डाला था कि एपीसीओ पी25 चरण- I प्रणाली ने अपने सामान्य अवधि के 10 साल (2009 में) पार कर लिए थे और पुराने होने के कारण खराब प्रदर्शन दे रहा था एवं दिल्ली पुलिस की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके तत्काल प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी। इसके अलावा, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह प्रणाली दिल्ली पुलिस संचार प्रणाली का आधार है और इसके पुराने होने के कारण किसी भी समय अव्यवस्थित हो सकती है। लेखापरीक्षा का मत है कि गृ.मं. द्वारा विभिन्न अवसरों पर निविदा विनिर्देशों के विक्रेता विशिष्ट होने के संबंध में दी गई टिप्पणियों के आधार पर, दिल्ली पुलिस को निविदा विनिर्देशों को अंतिम रूप देने में अधिक परिश्रम का प्रयोग करना चाहिए था और औचित्य और कारणों को दर्ज करके प्रश्नों को स्वीकार/अस्वीकार करना चाहिए था। कुल मिलाकर, प्रतीत होता है कि यह निविदा की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है और अंततः ट्रैकिंग प्रणाली के उन्नयन में देरी का कारण बना।

जवाब में (जून 2020) दिल्ली पुलिस ने कहा कि संचार प्रणाली के उन्नयन हेतु निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और लागत बोली तकनीकी मूल्यांकन के बाद शीघ्र ही खोली जायेगी। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि एक प्रस्ताव 3063 यूएचएफ हैण्डहेल्ड सेट, 100 यूएचएफ स्टेटिक/मोबाइल सेट और 19 यूएचएफ रिपीटर खरीदने के लिये प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से दिल्ली पुलिस की संचार प्रणाली के उन्नयन के लिए

अत्याधिक प्राथमिकता दी जाए। सरकार को दिल्ली पुलिस की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के पुनर्विलोकन पर भी विचार करना चाहिए जिससे ऐसे अत्याधिक महत्वपूर्ण उपकरणों के प्रापण में अधिक देरी से बचा जा सके।

6.3. सीसीटीवी निगरानी


पिछले दस वर्षों में, दिल्ली पुलिस ने रणनीतिक स्थानों पर कैमरों का इस्तेमाल करके सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी रखने के लिए पूरी दिल्ली में 4,100 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन 4,100 कैमरों में से 3,870 कैमरे चार चरणों में ईसीआईएल के माध्यम से स्थापित किए गए थे और 230 कैमरे किराये के आधार पर थे, जैसा कि तालिका 6.1 में दिखाया गया है।

तालिका 6.1: ईसीआईएल के माध्यम से स्थापित किये गये कैमरे

चरण (अनुबंध की तारीख)	कैमरों की संख्या	साइटों की संख्या	व्यय हुआ
प्रारंभिक चरण (फरवरी 2009)	56	2	₹ 5.61 करोड़
चरण- I (मार्च 2010)	1,073	29	₹ 85.61 करोड़
चरण- IIअ (जनवरी 2012)	2,085	38	₹ 121.35 करोड़
चरण- III (मार्च 2012-जनवरी 2014)	656	10	₹ 18.87 करोड़
कुल	3,870	79	

स्रोत: दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2018 - मार्च 2019 के दौरान कुल 3870 कैमरों में से कार्यशील सीसीटीवी कैमरों की संख्या 2152 से 2631 के बीच थी, अर्थात् 55 से 68 प्रतिशत कैमरे कार्यशील थे।



स्रोत: दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड से संकलित

सीसीटीवी कैमरों के कामकाज के बारे में लेखापरीक्षा अवलोकन आगे के पैराग्राफ में दिए गए हैं।

6.3.1. कैमरों की कार्यप्रणाली

प्रारंभिक चरण के तहत गाजीपुर बॉर्डर (18) और वसंत विहार (38) में दो जगहों पर 56 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम ₹5.89 करोड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को दिया गया (फरवरी 2009)। ईसीआईएल द्वारा कैमरों की स्थापना के बाद, साइटों को क्रमशः मार्च 2012 और मार्च 2015 में दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेवा प्रदान करने वालों के साथ इन्टरनेट लीज्ड लाइन का मास्टर कंट्रोल स्टेशन को लोकल सर्विलांस स्टेशन से जोड़ने के लिए, प्रावधान मूल अनुबंध में शामिल नहीं था। परिणामस्वरूप ईसीआईएल ने (जनवरी 2013 में ₹0.41 करोड़ और सितंबर 2014 में ₹0.35 करोड़) इन्टरनेट लीज्ड लाइन के भुगतान हेतु अतिरिक्त बिल जमा किए। हालांकि, अनुबंध में संशोधन नहीं किया गया था और इन सभी 56 कैमरों को कनेक्टिविटी की कमी के कारण अगस्त 2015 से गैर-कार्यशील घोषित किया गया था। तत्पश्चात, नवंबर 2018 में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार, कनेक्टिविटी/लीज्ड लाइन के लिए अनुबंध में प्रावधान नहीं रखने के कारण, प्रारंभिक चरण के तहत स्थापित 56 कैमरे तीन साल से कम समय तक चालू रहे, जिस पर ₹5.61 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ। दिल्ली पुलिस ने कहा (जून 2020) कि चूंकि लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी चार्ज, प्रतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था किन्तु प्रयत्न किए गए थे, लेकिन तीसरे पक्ष से अधिक क्षति के कारण प्रणाली के निराकरण के पहले प्रयास के बावजूद प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं कराया जा सका। हालांकि आगे के चरणों के अनुबंधों में आवश्यक प्रावधान किये गये थे।

ईसीआईएल के साथ अनुबंध के अनुसार, ईसीआईएल द्वारा 99 प्रतिशत मासिक प्रणाली उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी। इसके अलावा, ईसीआईएल के विभिन्न चरणों के तहत सूचीबद्ध सभी साइटों पर प्रत्येक प्रकार के एक प्रतिशत अतिरिक्त कैमरे उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के यह सुनिश्चित करना था कि सम्पूर्ण प्रणाली (सभी उपकरण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, केबल, उपभोग्य वस्तुएं) दिल्ली पुलिस के उद्देश्य को प्राप्त करे। चूंकि ईसीआईएल ने किसी भी साइट पर अतिरिक्त कैमरे नहीं रखे थे, इसलिए दिल्ली पुलिस को प्रदान किए गए कैमरों की लागत को कम करके ईसीआईएल को देय राशि के समायोजन पर विचार करना चाहिए।

	चरण I	चरण II	चरण III
कुल साइटें / कैमरे	29/ 1073	38/ 2085	10/ 656
उपलब्धता के साथ साइटें > 99%	0	1	0
उपलब्धता के साथ साइटें: 51-99%	12	18	10
उपलब्धता के साथ साइटें: 26-50%	11	5	0
उपलब्धता के साथ साइटें: 0-25%	6	14	0
क्या 1 प्रतिशत रिजर्व कैमरे रखे गये हैं	नहीं		

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोषपूर्ण/ क्षतिग्रस्त कैमरों/ उपकरणों आदि के स्थानान्तरण/मरम्मत के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा विभिन्न स्वीकृतियों में अत्याधिक देरी की गई। कुछ व्याख्यात्मक उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

साइट	टिप्पणियाँ
साकेत कॉम्प्लेक्स मार्केट	साकेत कॉम्प्लेक्स मार्केट में ₹1.94 करोड़ की लागत से लगाए गए 45 सीसीटीवी कैमरे फरवरी 2016 से उपकरणों के स्थानान्तरण करने के लिए निष्क्रिय थे। ईसीआईएल ने (मार्च 2017) आकलन प्रस्तुत किया था जिसके लिए पुलिस मुख्यालय ने 20 महीने से अधिक समय के बाद (जनवरी 2019) अनुमोदन किया था। इस बीच, पुराने भवन में सभी उपकरण रखरखाव न होने के कारण काम नहीं कर रहे थे।
तिलक नगर मार्केट	₹7.19 करोड़ की लागत से तिलक नगर मार्केट में लगाए गए 37 सीसीटीवी कैमरे अक्टूबर 2016 से आग की दुर्घटना के कारण निष्क्रिय थे। ईसीआईएल ने (नवंबर 2017) आकलन प्रस्तुत किया था जिसके लिए पुलिस मुख्यालय ने 15 महीने से अधिक समय के बाद (फरवरी 2019) अनुमोदन किया था। अगस्त 2019 तक कैमरों को चालू नहीं किया गया था।
इंडिया गेट	₹2.26 करोड़ की लागत से इंडिया गेट पर स्थापित 28 सीसीटीवी कैमरे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण कार्य के कारण मार्च 2018 से निष्क्रिय थे। ईसीआईएल ने दिल्ली पुलिस को इन कैमरों को स्थानान्तरित करने के लिए सूचित किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस को इस संबंध में निर्णय लेना बाकी था, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.26 करोड़ की लागत के कैमरे निष्क्रिय रखे थे।

दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया (जून 2020) कि सी सी टी वी के लिए आंतरिक निगरानी कमेटी आयुक्त (प्रचालन) की अध्यक्षता में गठित की गई थी तथा सभी कैमरों को पूर्णरूप से कार्यशील बनाये रखने के लिए उचित प्रयास किये गये थे। इसके अलावा साकेत कॉम्प्लेक्स मार्केट तथा तिलक नगर मार्केट के कैमरे को जनवरी 2020 तक पुनः स्थापित किया गया। दिल्ली पुलिस को उनकी कार्यात्मक स्थिति को देखने के लिए कैमरों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये।

6.3.2. सर्विलांस फ़ीड की निगरानी

सभी सीसीटीवी कैमरे स्थानीय नियंत्रण स्टेशन (स्था.नि.स्टे.) से कनक्टिड स्थानीय रूप से रखे गए और संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थित मास्टर नियंत्रण स्टेशन (मा.नि.स्टे.) से जुड़े हैं। वीडियो फ़ीड की निगरानी पुलिस स्टेशन, जिला कंट्रोल रूम और सी4आई (एकीकृत कमांड, नियंत्रण, समन्वय और संचार केंद्र) पर की जा सकती है।

पुलिस मुख्यालय में सी4आई को एक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था जिसमें सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और वायरलेस, हॉटलाइन, आदि के माध्यम से संचार संयोजन के साथ वीडियो संयोजन थे। सी4आई में एक वीडियो दीवार है, जिसमें 64 कैमरों से फ़ीड एक साथ देखी जा सकती है। वर्तमान में सी4आई पर ऊपर चर्चित चरण-1 के तहत स्थापित किये गये 1054 कैमरों से वीडियो फ़ीड है। लेखापरीक्षा में पाया कि 2018-19 के दौरान जिन कैमरों की निगरानी (हर महीने की 15 तारीख को) की जा सकती थी जो केवल 22 से 48 प्रतिशत तक थे। शेष कैमरों से निगरानी फ़ीड या तो दोषपूर्ण कैमरों या नेटवर्क से संबंधित मुद्दों के कारण उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, सी4आई में वीडियो फ़ीड की निगरानी के लिए केवल एक अधिकारी तैनात था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि टिप्पणियों का दस्तावेजीकरण करने के साथ-साथ 60 कैमरों की निरंतर निगरानी केवल एक व्यक्ति द्वारा बहुत मुश्किल कार्य होगा।

जिन कैमरों की निगरानी सी4आई में की जा सकती थी उनका प्रतिशत 22 से 48 प्रतिशत तक था, जो बहुत कम है। दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करे कि प्रस्तावित यथोचित सुझावों के साथ एक व्यवस्थित और विस्तृत समीक्षा की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कैमरों का उच्च प्रतिशत हमेशा कार्यशील हो।

दिल्ली पुलिस ने कहा (जून 2020) कि हस्तचालित प्रक्रिया में नेटवर्क संबंधित या कैमरों की खराबी ढूँढने में कमियाँ हैं तथा इसलिए, सीसीटीवी कैमरों की हालत की निगरानी के लिये प्रणाली खरीदने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।